

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकरण अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।)

जनपद मुरादाबाद में टोरेट गैस मुरादाबाद लि० द्वारा मुरादाबाद-चन्दौसी मार्ग (एन०एच०-509) किमी० चैनेज 6.150 से 16.500 तक बायी पटरी पर गैस पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु 0.6124 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में।

(प्रस्ताव सं०-एफपी/यूपी/पाईप लाईन/ 118228/2021

राज्य सरकार की सिफारिशें -

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-पी-80/ 81-2- 2021-800(79)/2021, दिनांक ०९ जून 2021 के द्वारा प्रस्ताव पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी की संस्तुति के आधार पर संस्तुत।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।)

दिनांक- ०९/०६/२०२१

हस्ताक्षर

()

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर

(आशीष तिवारी)
सचिव
पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।